

SI-N-4(CI)

१

कायलिय पुलिस अधीक्षक बाँदा ।
 पत्र संख्या: एसटी-एसपी-28 दृष्टि/एससी/एसटी-प्र०-०९ दिनांक: दिसेम्बर ०६, २००९

सेवा में,

3048/Ghm/Hof
13/11/09

सहायक निदेशक,
 राष्ट्रीय अनुसंचित जनजाति आयोग,
 छठी मंजिल, बौद्ध चिंग, लोक नायक भवन,
 खान मार्किट, नई दिल्ली-११०००३

कृपया अपने पत्र संख्या: ७/ए-१/यमी-२/अन्याचार/२००८/आर. य.

१. दिनांक: २५-११-२००९ का सन्दर्भ ग्रहण करने का कट करें, जो आवेदिका श्रीमती आगा पत्नी स्व० श्री किशन सिंह, निवासिनी मौ० डिग्गी तालाब स्टेशन रोड, बाँदा, मल निवासी-एल०-१०७ इन्द्रानगर रायेंबरेली के प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोपों की जाँच कराकर आख्या प्रेषित किये जाने विषयक है ।

AD RU-5

२- उपरोक्त सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि संदर्भित प्रकरण की जाँच श्री झानेन्द्र, क्षेत्राधिकारी नगर, बाँदा से कराकर आख्या प्राप्त की गयी तो पाया गया कि, " प्रकरण पर आवेदिका की तहरीर के आधार पर धाना-कोत०नगर, बाँदा में दिनांक: ११-९-०७ को मु०३०सं-६९०/०७ धारा-४५७/३८०/५०४/५०६/४४७ भा०८०८०वि० व ३११४१० एससी/एसटी एक्ट विस्तृद नागेन्द्र सिंह आदि के पंजीकृत किया गया । विवेचना से अभियुक्त नागेन्द्र सिंह के विस्तृद आरोप प्रमाणित होने पर बाद विवेचना आरोप-पत्र संख्या: ए-४८४, दिनांक: २६-१२-२००७ को धारा-४५७/३८०/४४७/५०४/५०६ भा०८०८०वि० व ३११४१० एससी/एसटी एक्ट के तहत प्रेषित किया गया है ।

इस सम्बन्ध में जाँच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जाँच आख्या की एक प्रति मय मूल प्रार्थना-पत्र सहित संलग्न कर सादर अक्लोकना प्रेषित है ।

संलग्नक: यथोपरि ।

श्री अंजन शर्मा
 पुलिस अधीक्षक,
 बाँदा।